# राजस्थान सरकार
## निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
### बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर–302016

क्रमांक प. 93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2016 /785 दिनांक : 31.08.2016

**परिपत्र**

मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट भाषण के पैरा संख्या 244 के तहत राज्य बीमा एवं जीपीएफ के प्रकरणों को एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निस्तारण तथा एसआईपीएफ पोर्टल एवं पे–मैनेजर पोर्टल का सम्पूर्ण इन्टीग्रेशन किया जाना है। उक्त घोषणा की पालना में विभाग द्वारा राज्य बीमा ऋण, राज्य बीमा स्वत्व, जीपीएफ अस्थाई,स्थाई आहरण एवं जीपीएफ अन्तिम दावा भुगतान आदि कार्य दिनांक 15.08.2016 से ऑनलाईन किया जाना प्रारंभ कर दिये गये हैं ।

एसआईपीएफ पोर्टल एवं पे–मैनेजर पोर्टल के सम्पूर्ण इन्टीग्रेशन क्रम में नवीन विकसित प्रक्रिया के तहत अब नकद जमाकर्ता विभागों के चालान/शिडयूल ई–ग्रास पोर्टल के बजाय एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से जनरेट किये जायेंगे तथा राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले भुगतान अधिकार–पत्रों का डीडीओ द्वारा पे–मैनेजर पर ऑनलाईन पारित किये जायेंगे, इस हेतु निम्नाकिंत प्रकिया अपनाई जायेगी :–

1. <u>एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से केश चालान–शिडयूल्स जनरेशन</u>

   1 वर्तमान में वे राज्य कर्मचारी जो स्वायत्तशाषी विभागों, निगम, बोर्ड, पंचायतराज जैसी संस्थाओं में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त हैं उनके द्वारा राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग से संबंधित राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, एनपीएस, जीपीए आदि कटौतियॉ ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराई जा रही है, किन्तु ई–ग्रास पोर्टल पर उपर्युक्त कटौतियॉ का विस्तृत शिडयूल बनाये जाने की न तो बाध्यता है, और न ही सुविधा ह। ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से अब तक बीमा, जीपीएफ के जो चालान जनरेट किये जा रहें है, उनके अधिकांश शिडयूल राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग को प्राप्त नहीं हो रहें है, फलतः विगत वर्षो में ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गई कटौतियों का संबंधित अंशदाताओं के खातों में खतौनियॉ/समायोजन नहीं हो पा रहा है।

   2. इस समस्या के समाधान हेतु एसआईपीएफ पोर्टल एवं ई–ग्रास पोर्टल का इन्टीग्रेशन किया जाकर आवश्यक व्यवस्था/प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार अब राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग से संबंधित नकद चालान जमाकर्ता सीधे ई–ग्रास पर राशि जमा नहीं करवा पायेंगे इस हेतु पहले उन्हें एसआईपीएफ पोर्टल पर शिडयूल क्रियेट करना होगा जिसे सबमिट करने पर ई–ग्रास पोर्टल का लिंक भुगतान हेतु उपलब्ध हो जायेगा, जहॉ क्रेडिट जमा कराने की शेष प्रक्रियाएं ई–ग्रास पर पूर्ववत् सम्पन्न होगीं। उक्त प्रक्रिया से नकद चालान वाले शिडयूल्स की क्रेडिट राशियों की खतौनी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः एसआईपीएफ पोर्टल पर संबंधित कर्मचारियों के खातों में हो पायेंगी।

2. <u>ऑनलाईन डेबिट बिल पारित</u>

   1. एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से जारी ऋण, आहरण, स्वत्व इत्यादि के भुगतान अधिकार पत्रों के आहरण हेतु डीडीओ को मानवीय श्रम से बिल तैयार कर कोषागारों में भेजना होता है जिसमें विलम्ब होने, दोहरा भुगतान होने की संभावना बनी रहती है तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई डेबिट राशियों का इन्द्राज एसआईपीएफ पोर्टल पर राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग को मानव–श्रम से पुनः करानी पडती है।

   2. इस समस्या के समाधान हेतु एसआईपीएफ पोर्टल एवं पे–मैनेजर पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किया गया है, तद्नुसार एसआईपीएफ पोर्टल द्वारा ऑनलाईन जारी भुगतान अधिकार पत्रों पर

अंकित संदर्भ नम्बर (रेफरेन्स नम्बर) के आधार पर डीडीओ द्वारा पे–मैनेजर पोर्टल (आईएफएमएस) के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान करवाये जाने की प्रक्रिया अपनायी जायेंगी। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप संबंधित राज्य कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एसआईपीएफ पोर्टल पर संबंधित कर्मचारी के खाते में डेबिट हो जायेगी।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा नकद जमाकर्ता विभागों से आग्रह है कि दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से उपर्युक्तानुसार इस विभाग से संबंधित राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, एनपीएस, जीपीए आदि कटौतियॉ जो वर्तमान में ई–ग्रास पोर्टल पर जमा कराई जा रही हैं, को अब एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से जमा करायी जावें तथा एसआईपीएफ पोर्टल द्वारा ऑनलाईन जारी भुगतान अधिकार पत्रों पर अंकित संदर्भ नम्बर के आधार पर पे–मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट कर संबंधित कर्मचारियों को भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(एस.एस.सोहता)
निदेशक

कमांक प. 93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2016 786-923 दिनांक : 31.08.2016

प्रतिलिपि –निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय , राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(व्यय)विभाग शासन सविचालय जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, वित्त भवन, जयपुर।
7. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी (पे–मैनेजर), वित्त भवन,जयपुर।
8. समस्त अधिकारी,राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,मुख्यालय/साबीयो,जयपुर।
9. समस्त वरि./अति.निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,संभाग कार्यालय.....
10. समस्त कोषाधिकारी.....
11. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,राजस्थान सरकार।
12. समस्त संयुक्त/उप/सहा.निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,जिला कार्यालय..... को भेजकर लेख है कि उक्त परिप्रत्र की प्रति आपके जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों तक भिजवावे एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायी जावे।
13. श्री रमेश चंद शर्मा, संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी एसआईपीएफ पोर्टल, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।

(धनलाल शेरावत)
अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम्स